प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया है।

प्रतिवेदन में 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए "सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के क्रियाकलाप" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।